के समक्ष अब तक कुल कितने प्रस्ताव पेश किये गये हैं;

(ख) स्वदेशी विदेशी और संयुक्त संस्थाओं द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी प्रस्तावों पर निर्णय ले लिये हैं;

(घ) यदि हां, तो मार्च, 1993 तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, कितनी अस्वीकृत की गयी हैं और कितनी परियोजनायें निर्णय के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए कोई मार्गदर्शक नियम बनाये हैं; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक स्वीकृत परियोजनाओं द्वारा देश में विद्युत उत्पादन की कितनी क्षमता स्थापित होगी और वे कब तक विद्युत उत्पादन शुरू कर देंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (च) 51986.29 करोड़ की अनुमानित लागत से 19914.5 मेगावाट की क्षमता अधिष्ठापित किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की 41 विद्युत परियोजनाओं हेतु अभी तक 11552.08 करोड़ रु. की लागत से 4577.5 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के लिए भारतीय कम्पनियों से 15 प्रस्ताव तथा 40433.46 करोड़ रु. की लागत से 15337 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के लिए विदेशी कम्पनियों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, विदेशी निवेश की दृष्टि से मार्च, 1993 तक तीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी उद्यमियों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति में, विद्युत उत्पादन एवं वितरण दोनों प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं। इन सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में समय सूची की जानकारी, विभिन्न निवेश और स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकेगी।

बजट में विद्युत के लिए आवंटित धनराशि

210. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1992-93 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट में विद्युत के लिए 6,167 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1992-93 के वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में 3602 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में केवल 3000 मे. वाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हो सका है जबकि उक्त अवधि के दौरान 4500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1993-94 के आगामी वर्ष में विद्युत की मांग और पूर्ति के बीच का अन्तर और भी बढ़ सकता है क्योंकि विद्युत उत्पादन अपने निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है;

(ङ) यदि हां तो 1993-94 के दौरान, इस अन्तर के संबंध में संभावित आंकड़े क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने विद्युत की आपूर्ति में कमी को मद्दे नजर रखते हुए विद्युत की खपत में कटौती करने के लिए क्षेत्रों का पता लगा लिया है; और

(छ) यदि हां, तो विद्युत की खपत में कहां-कहां और कितनी-कितनी कटौती करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय हेतु वर्ष 1992-93 के लिए 5167.00 करोड़ रु. के योजना परिव्यय की तुलना में उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार वास्तविक समुपयोजन 3602.13 करोड़ रु. था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1992-93) के दौरान वास्तविक क्षमता संवर्धन उपलब्धि 3537.27 मे. वा. रही है जबकि कार्यक्रम 4458.02 मे. वा. का था।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में प्रत्याशित विद्युत शृंखलाई स्थिति निम्नानुसार है :—

ऊर्जा (मि० यू०)		व्यस्ततमकालीन (मे० वा०)	
आवश्यकता	327290	व्यस्ततमकालीन मांग	56000
उपलब्धता	294620	व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	44200
कमी	32670	व्यस्ततमकालीन कमी	11800
ऊर्जा कमी (%)	9.98	व्यस्ततमकालीन कमी (%)	21.1

(च) और (छ) विद्युत की मांग को इसकी उपलब्धता के संगत बनाए रखने के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत कटौतियों/प्रतिबन्धों का सहारा लेना पड़ता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित मामले

211. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1991 से, विभागीय सतर्कता विभाग के पास दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कार्यरत प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लगभग 300 मामले जांच के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो 1991 से, उक्त संस्थान में कार्यरत द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुल कितने मामले सतर्कता विभाग के पास जांच के लिए लम्बित हैं;

(ग) क्या प्रशासन में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उक्त सभी मामलों की शीघ्र जांच करने के बाद दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना आवश्यक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सतर्कता विभाग के काम काज में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ताकि वह विभाग एक निर्धारित अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा कर सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो 1991 से जांच के